बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0–33/11KV लाईन जीर्णोधार–28/2017 /पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के क्षेत्राधीन पूर्व से स्थापित वितरण प्रणाली के अतर्गत 33 के0 भी0, 11 के0 भी0, निम्न विभव लाईन के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण करने हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के लिए 1652.14 करोड़ (एक हजार छः सौ बावन करोड़ चौदह लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

दोनो वितरण कंपनियों यथा–नॉर्थ/साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन पूर्व से स्थापित वितरण प्रणाली के अंतर्गत 33 के0भी0, 11 के0भी0 फीडर निम्न विभव लाईन या तो जर्जर हो गये है या जर्जर होने की स्थिति में है, जिसके कारण विद्युत स्पर्शाधात होने का डर बना रहता है। लाईनों के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण होने से विद्युत स्पर्शाघात की संभावना को खत्म किया जा सकता है तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति की जा सकेगी। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल प्राक्कलित राशि 3070.22 करोड़ (तीन हजार सत्तर करोड़ बाईस लाख) रूपय अनुमानित है, जिसमें नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के लिए 1652.14 करोड़ (एक हजार छः सौ बावन करोड़ चौदह लाख) रूपये प्राक्कलित है।

2. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के क्षेत्राधीन पूर्व से स्थापित वितरण प्रणाली के अतर्गत 33 के0 भी0, 11 के0 भी0, निम्न विभव लाईन के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण करने हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के लिए 1652.14 करोड़ (एक हजार छः सौ बावन करोड़ चौदह लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0103– नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की परियोजना, माँग सं0–10, विपत्र कोड–10–4801057890103 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0048– नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200048 में जमा की जाएगी।

5. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA276 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0–33 / 11 KV लाईन जीर्णोधार–28 / 2017 के पृष्ठ संख्या–11 / टि0 पर दिनांक–07.11.2017 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0–33 / 11 KV लाईन जीर्णोधार–28 / 2017 पृष्ठ संख्या–15 / टि0 पर दिनांक–08.11.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0 / –
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–33 / 11KV लाईन जीर्णोधार–28 / 2017 / पटना, दिनांक–दनांक–
प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– प्र0–33 / 11KV लाईन जीर्णोधार–28 / 2017 3491 / पटना, दिनांक– 20/11/2017
प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड / उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।